संख्या-19/2024/528/001-53-2099-940-2019-2(48)/2014

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0,
लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 02 जुलाई, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-139/वित्त सम्भाग-3/पीसीडीएफ-ऋण/2024-25, दिनांक 06 जून, 2024 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण योजना अन्तर्गत लेखाशीर्षक "6404-डेरी विकास के लिए कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-05-कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण-30-निवेश/ऋण" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 11700.00 लाख के सापेक्ष रू0 1950.00 लाख(रूपये उन्नीस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित नियम, शर्तों एवं प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नही रखा जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस प्रयोजन/जिन कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसी मद/प्रयोजन में ही इसका व्यय अनुमन्य होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त आहरित न करके अपितु आवश्कतानुसार आहरित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) ऋण के रूप में पीसीडीएफ को उपलब्ध करायी जा रही प्रश्नगत धनराशि हेतु ऋण की शर्तों का निर्धारण वित्त (आय-व्ययक) अनु0-4, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-4-857/दस-2016-6-1965, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही ऋण की धनराशि की अदायगी पीसीडीएफ द्वारा अधिकतम 10 वर्षो के अन्दर एवं ब्याज सहित सुनिश्चित की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही ऋण की धनराशि पर ब्याज दर 11.50 प्रतिशत वार्षिक देय होगा।

(7) ब्याज की उक्त दर प्रभावी ब्याज दर है। इस दर से 2.50 जोड़कर ब्याज दर 14.00 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की जाएगी परन्तु मूलधन तथा ब्याज की नियमित अदायगी होने पर ब्याज की दर 11.50 प्रतिशत वार्षिक रहेगी। मूलधन/ ब्याज की अदायगी में विलम्ब की दशा में विलम्ब की अवधि के लिए 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूला जायेगा।

(8) मूलधन की वापसी 10 समान किश्तों में की जाएगी। मूलधन अदायगी की तिथि ऋण आहरण की वर्षगांठ तिथि होगी। मूलधन की वसूली पूर्ण हो जाने पर ब्याज की अदायगी तुरंत आरम्भ की जाएगी। ब्याज अदायगी की तिथि भी ऋण आहरण की वर्षगांठ तिथि होगी।

(9) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित ब्याज दर एवं अन्य शर्तें निर्धारित होने पर अनन्तिम रूप से निर्धारित उपरोक्त शर्तों को संशोधित शर्तों से प्रतिस्थापित समझा जाएगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर जिस खाते में जमा किया जायेगा, यदि उस खाते में कोई ब्याज अर्जित होता है, उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(11) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि की उपलब्धता के संबंध में दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 सुनिश्चित हो लेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत अगली वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के पूर्व उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी अन्य योजना से द्विरावृत्ति न हो।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 19,50,00,000 (रुपये उन्नीस करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 6404001900500 कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या -E-1-58-X-2024-25, दिनांक- 24 जून, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 19/2024/528/001-53-2099-940-2019-2(48)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।

9- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक)अनु0-1/नियोजन अनुभाग-3/ राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0 शासन।

10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।

11- सम्बन्धित कोषाधिकारी।

12- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।